महानगरों में ढांचागत विकास की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना

दिशानिर्देश

शहरी मामलें एवं रोजगार मंत्रालय

शहरी विकास विभाग

भारत सरकार

नई दिल्ली

के-14011/35/92-यूडी III
भारत सरकार
शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय

महानगरों में ढांचागत विकास की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना

क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश

I. पृष्ठभूमिः

1.1 शहरी विकास एवं रोजगार मंत्रालय को विभिन्न राज्य सरकारों, मेट्रोपोलिटन शहरों के मेयरों आदि से प्रतिवेदन मिलते रहे हैं, जिनमें कोलकाता, मुंबई, चेन्नै, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे मेगा/मेट्रो शहरों के समक्ष समस्याओं को हल करने के लिए केन्द्र की सहायता के प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है। अक्सर, यह विवाद उठता है कि इन नगरों में अनेक समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों और पूरे देश के छोटे शहरों से बड़ी मात्रा में प्रवास के कारण उत्पन्न होती हैं, जिन पर शहर के प्राधिकरणों का नियंत्रण कम होता है। साथ ही, ये नगर आर्थिक विकास के इंजन का काम करते हैं और राष्ट्रीय उत्पादकता में बड़ा अंशदान करते आ रहे हैं तथा नियोजित आर्थिक विकास के लिए संसाधन उत्पन्न करते हैं। इस मंत्रालय द्वारा चार महा नगरों के लिए केन्द्रीय सहायता की संभावना के बारे में योजना आयोग से अनुरोध के साथ ही शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भी ध्यान देने का अनुरोध किया गया है "कि ..... दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नै, जिन्हें राष्ट्रीय नगर घोषित किया गया है और यह कि एक कोष की स्थापना की जाए, जिसका रखरखाव इन नगरों के विकास के लिए एक विशेषज्ञ संगठन द्वारा किया जाए।" राष्ट्रीय आयोग ने प्रत्येक नगर के लिए 500 करोड़ रु. की सिफारिश की थी, जिसे ढांचागत विकास के लिए 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आबंटित किया जा सकता है। हालांकि, योजना आयोग विशेष रूप से इन नगरों के लिए केन्द्र द्वारा कोष की व्यवस्था के पक्ष में नहीं था और उसने हवाला दिया कि मेट्रो विकास की परियोजनाओं के लिए केन्द्र की किसी सहायता को राज्य के विकास की योजना का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

1.2 तथापि, योजना आयोग, समय-समय पर, महा नगरों में ढांचागत विकास की समस्याओं का सामना करने के लिए राज्य सरकारों को, मामले-दर-मामले के आधार पर, विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में निधियों का आबंटन करता रहा है। जब से यह महसूस किया जा रहा है कि महानगरों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में एक अधिक ढांचागत रूप तैयार करने की आवश्यकता है, जैसा राज्य

सरकारों के प्रतिनिधियों, योजना आयोग और शहरी विकास एवं रोजगार मंत्रालय के बीच अगस्त, 1992 और उसके बाद दिसंबर, 1992 में वार्ता हुई थी। महा नगरों में ढांचागत विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना इन प्रक्रियाओं के कारण उभरकर सामने आई और योजना आयोग ने मई, 1993 में इस स्कीम की रूपरेखा को परिपत्रित किया। शहरी विकास एवं रोजगार मंत्रालय ने योजना आयोग से योजना/परियोजनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था ताकि प्रस्ताव की पूरी योजना पर विचार किया जा सके। शहरी विकास एवं रोजगार मंत्रालय ने स्कीम के व्यापक पहलुओं पर अपनी सहमति दी और मुंबई, कोलकाता और चेन्नै महानगरों के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्टों पर अपनी सिफारिश दी। योजना आयोग से यह भी अनुरोध किया गया था कि इनमें कार्य की प्रकृति, वर्तमान जनसंख्या, शहरी विकास दर, वर्ष 2000 में आकलित जनसंख्या और इन नगरों की महानगरीय प्रकृति के साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास/अर्थव्यवस्था में इनके योगदान को देखते हुए हैदराबाद और बेंगलुरु शहरों को भी शामिल करने पर विचार किया जाए।

योजना आयोग द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेगा सिटी योजना को पारित कर दिया गया।

2. मेगा सिटी स्कीम की मुख्य विशेषताएं:

2.1 इस स्कीम की तय की गई मुख्य विशेषताएं जो योजना आयोग और शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा तैयार निर्देशों तथा आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित दिनांक 11.11.94 और 10.1.95 को संपन्न व्यय वित्त समिति की बैठक में हुए निर्णयों पर आधारित हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

i. स्कीम मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए लागू होगी।

ii. स्कीम को शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा और निधि को एक विशेषज्ञ संगठन/नोडल एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकारों को भेजा जाएगा।

iii केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी का अनुपात 25:25 होगा और शेष 50% का निपटान वित्तीय संगठनों और पूंजी बाजार के माध्यम से संगठनों के वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। ऋण व्यवस्था या तो नोडल एजेंसी द्वारा अथवा क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा की जाएगी। परियोजना भूमि और निजी निवेश द्वारा आंशिक रूप से संगठनों के वित्त की पूर्ति कर सकते हैं बशर्ते विचाराधीन परियोजना के समस्त मानकों का पालन किया जाता हो।

iv. केन्द्र और राज्य सरकारों से निधि सीधे विशेषज्ञ संगठनों/नोडल एजेंसी को अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। नोडल एजेंसी केन्द्र और राज्य सरकारों की सहायता से एक रिवॉल्विंग

फंड का गठन करेगी जिसमें से विभिन्न एजेंसियों, जैसे जल एवं सीवर बोर्डों, नगर निगमों आदि, को वित्तीय सहायता दी जा सकेगी।

नोडल एजेंसी द्वारा क्रियान्यवन करने वाले संगठनों को परियोजना आधारित ऋण परिवर्तनीय ब्याज दरों पर - जिसमें न्यायिक तरीके से अनुदान शामिल होंगे (केन्द्र और राज्य सरकारों की अधिकतम 20% साझा-राशि की शर्त पर) और ऋण प्रदान किए जाएंगे। यह बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजनाओं को नियत वित्तीय मूल्यांकन पर आधारित होगा (जहां कहीं वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जाता हो) और वित्तीय मूल्यांकन इस प्रकार होगा कि ऋण पूंजी पर ब्याज की गणना के बाद, मूल्यांकन/प्रस्तुतीकरण/सर्विसिंग और उनसे संबंधित लागतें न्यूनतम 75% की दर से 9वीं योजना के अंत तक नोडल एजेंसी के खाते में रहती हैं। इसका उद्देश्य ढांचागत परिसंपत्तियों के लिए नियमित आधार पर एक फंड का सृजन करना तथा उसका रखरखाव करना है।

v. (क) नोडल एजेंसी शहरी ढांचे सहित जल आपूर्ति, सीवर व्यवस्था, ड्रेनेज, सफाई व्यवस्था, शहर की परिवहन व्यवस्था, भूमि विकास, स्लम क्षेत्र के सुधार, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन कार्यों आदि के लिए परियोजना-आधारित वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी।

(ख) ऊर्जा, दूरसंचार, चल स्टॉक जैसे बसों और ट्रामों, बुनियादी स्वास्थ्य/शिक्षा, लघु प्रकृति वाली परियोजनाएं जिन्हें स्थानीय निधि से आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है, एमआरटीएस/एलआरटीएस परियोजनाओं अथवा ऐसी परियोजनाएं जिनमें अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और लंबी अवधि वाली परियोजनाओं तथा लंबी अवधि वाले अध्ययनों आदि के लिए वित्त की व्यवस्था नहीं की जाएगी।

(ग) क्षेत्रीय स्तर पर अथवा शहर के स्तर पर केवल महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जो क्षेत्रीय मेट्रोपोलिटन मास्टर/डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप होंगी, को वित्तीय सहायता दी जा सकेगी और स्थानीय परियोजनाओं, जो सामान्यतया निगम निकायों, जल अधिकरणों आदि द्वारा सामान्य बजट के माध्यम से चलाई जाती हैं और जिनका सीमित प्रभाव होता है, पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं की एक विस्तृत सूची, जिन पर स्कीम के अंतर्गत विचार किया जा सकता है, संलग्न है।

vi. नोडल एजेंसी को इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त/व्यय की जाने वाली समस्त धनराशि की प्राप्ति और व्यय हेतु एक वाणिज्यिक बैंक में एक अलग बैंक खाता खोलने की आवश्यकता होगी। वह इस स्कीम के अंतर्गत संगठन-वार ऋणों की स्थिति और परियोजनावार लेखा-जोखा भी रखेगी।

आने वाले समय में एक मेट्रोपोलिटन/राज्य शहरी ढांचा विकास निधि के रिवॉल्विगं फंड में वृद्धि हो सकेगी।

vii. नोडल एजेंसी के स्टाफ/प्रशासनिक लागतें राज्य सरकार/नोडल एजेंसी द्वारा वहन की जाएंगी और ये लागतें रिवॉल्विंग फंड को प्रभारित नहीं होंगी।

स्कीम के अंतर्गत शामिल की जाने वाली परियोजनाएं तीन श्रेणियों के अंतर्गत आएंगीः

(क) ऐसी परियोजनाएं जो पारितोषिक देने वाली बैंकीय परियोजनाएं हों, जो वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य और लाभकारी हों;

(ख) ऐसी परियोजनाएं जिनके लिए उपभोक्ताओं से प्रभार वसूला जा सके साथ ही अन्य अनिवार्य (किन्तु उपयोगकर्ता के प्रभारों के लिए उत्तरदायी न हों) परियोजनाओं, जहां लागत की वसूली का अर्थ परिचालनिक और अनुरक्षण लागतों को पूरा करना हो और पूंजीगत लागत का हिस्सा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष राजस्व के माध्यम से उत्पन्न होना संभावित होता हो;

श्रेणी (ख) के लिए निधि निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध होगी, जो बाजार की ब्याज दर से कम होगी, किन्तु इसके लिए कोई अनुदान नहीं मिल सकेगा।

(ग) मूलभूत सुविधाओं के लिए परियोजनाएं, जहां बहुत कम अथवा शून्य रिटर्न संभावित होता है – एक मेट्रो शहर में रहन-सहन की गुणवत्ता के उन्नयन के लिए ऐसी परियोजनाएं जो बहुत अनिवार्य होती हैं, किन्तु जहां उपयोगकर्ता से प्रभार वसूले नहीं जा सकते। परियोजनाओं के इस सैट के लिए, दो सबसैटों पर विचार किया जा सकता है। पहले सबसैट में, मूलभूत सेवाओं वाली परियोजनाएं शामिल होंगी, किन्तु वे गरीबी के उपशमन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होंगी, जिनके लिए निधि की व्यवस्था मामूली ब्याज दर, अर्थात् 3 से 5%, पर हो सकेगी। दूसरे सबसैट जिसमें अनुदान शामिल होगा, में शहरी गरीबी के अपशमन को शामिल किया जाना चाहिए। तथापि, केन्द्र तथा राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान में से 20% तक की राशि अनुदान के रूप में उपयोग की जा सकती है। इन परियोजनाओं के लिए, क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों के आंतरित संसाधन ऐसी स्थिति में संस्थाओं के वित्त की पूर्ति कर सकते हैं यदि संस्थाओं के लिए वित्त की व्यवस्था नहीं हो रही हो।

नोडल एजेंसी सर्वप्रथम बैंकीय परियोजनाओं पर विचार कर सकती है और काफी हद तक, ऐसी परियोजनाओं से अधिशेष भी जेनरेट किया जा सकता है, ऐसे में परियोजना-दर-परियोजना की प्राथमिकता के आधार पर मूलभूत/गैर-पारितोषिक वाली परियोजनाओं के लिए अनुदान उपलब्ध कराए जा सकता हैं।

पैरा 2 (ii) में उल्लेखानुसार संगठन की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, परियोजनाओं की उपर्युक्त तीन श्रेणियों के लिए वित्त व्यवस्था में न्यायिकता का ध्यान रखा जाएगा। कोई निश्चित अनुपात निर्धारित नहीं है यद्यपि तीनों श्रेणियों [2.2(क), 2.2(ख) और 2.2(ग)] के हिस्से का अनुमान कुल परियोजना लागतों का अनुपात 40:30:30 हो सकता है, महत्वपूर्ण यह है कि भावी निवेश के लिए एक बड़ा कोर्पस तैयार करने का विचार संपूर्ण पैकेज (प्रत्येक परियोजना के बजाय) के लिए व्यवहार्य होना चाहिए।

3. <u>नोडल एजेंसियां</u>

3.1 राज्य सरकारों ने मेगा सिटी परियोजना की गतिविधियों की संपूर्ण रेंज के लिए एक संगठन को समन्वय और मॉनिटरिंग एजेंसी के रूप में नामित करने का पुनःप्रयास किया है। अतः निम्नलिखित एजेंसियां नोडल एजेंसियों के रूप में चुनी गई हैं:

मुंबई:	मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीएमआरडीए)
कोलकाता:	कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण (सीएमडीए)
चेन्नै:	चेन्नै महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमडीए)
हैदराबाद:	हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एचयूडीए)
बेंगलुरु:	कर्नाटक शहरी ढांचा विकास वित्त निगम (केयूआईडीएफसी)

राज्य सरकारें एक वैकल्पिक एजेंसी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं - जैसे शहरी ढांचा विकास वित्त निगम – एक कंपनी है जो नोडल एजेंसी के रूप में प्रबंधन कार्य करती है। ये नोडल एजेंसियां संसाधनों के काम करने औऱ विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर दृष्टि रखेंगी और एक रिवॉल्विंग फंड तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगी। इससे पैरा 2.2 में उल्लेखानुसार तीनों श्रेणियों फंड की व्यवस्था अनिवार्य हो सकेगी, जो केवल श्रेणी 2.2 (ख) और 2.2(ग) के लिए सीमित है, जो क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा नोडल एजेंसियों को दी जानी चाहिए। नोडल एजेंसियों को क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा सौंपे गए विभिन्न परियोजना अवयवों की राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता का स्पष्ट आकलन करना होगा। प्रत्येक अवयव पूरी लागत की वसूली नहीं करवा सकता किन्तु परियोजनाओं की संपूर्ण व्यवहार्यता सुनिश्चित करनी होगी। इसमें पुनर्संरचना/उपयोगकर्ता प्रभार लगाने/सामान्य वृद्धि वाले राजस्व का एक हिस्सा, जो उपयुक्त राज्य/स्थानीय नीतियों के माध्यम से मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत शुरु की जाने वाली परियोजनाओं से स्थानीय प्राधिकरणों को प्राप्त होगा। इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को विशिष्ट दिशानिर्देश/निर्देश जारी करने होंगे।

3.2 स्कीम की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व-अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा एक स्पष्ट विवरण के रूप में जारी की जाएगी, जिसमें नोडल एजेंसी का क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय और निधि प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर सम्बंधों का विवरण होगा। यदि नोडल एजेंसी समन्वय/निधि की व्यवस्था के कार्य के साथ-साथ योजना/विकास का कार्य भी करती है तो दोनों प्रकार की गतिविधियों का स्पष्टतया अलग रूप से उल्लेख किया जाए और इन्हें किसी भी तरह से आपस में मिलाया नहीं जाएगा।

4. संस्थागत तंत्र

4.1 स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति, एक स्वीकृति समिति द्वारा दी जाएगी, जिसका गठन राज्य के स्तर पर निम्नानुसार कम्पोजिशन के साथ किया जाएगाः

1. सचिव, राज्य शहरी विकास/निगम प्रशासन विभाग, मेगा सिटी स्कीम संबंधी कार्य करने वाला विभाग
2. सचिव, राज्य वित्त विभाग
3. मुख्य कार्यकारी, मेगा सिटी परियोजना प्राधिकरण (नोडल एजेंसी)
4. संयुक्त सचिव (यूडी), भारत सरकार, शहरी मामलें एवं रोजगार मंत्रालय
5. योजना आयोग के प्रतिनिधि

ऐसी परियोजनाएं, जिनमें हडको/अन्य वित्तीय संगठन निधि की व्यवस्था के लिए इच्छुक होंगे, उनमें हडको/अन्य वित्तीय संगठन के प्रतिनिधि स्वीकृति समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल होंगे।

4.2 राज्य स्तर की स्वीकृति समिति की विचारणीय मदों में निम्नलिखित मदें शामिल होंगी :

क. क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की जांच और अनुमोदन (मूलभूत स्कीम के उद्देश्यों और इस संबंध में शहरी विकास एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और निर्धारित व्यापक पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत स्वयं नोडल एजेंसी सहित);

ख. स्कीम के अंतर्गत आरंभ की गई विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन की आवधिक मॉनीटरिंग;

ग. स्कीम की समीक्षा और क्रियान्वयन और निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप आरंभ किए गए कार्यक्रमों को सुनिश्चित करना।

घ. क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा समय-समय पर उठाए गए मुद्दों पर विचार करना; यदि आवश्यक हो तो शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय/योजना आयोग का परामर्श लेना।

ङ. केन्द्रीय सहायता के लिए संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को सिफारिश करना।

च. अन्य मामले जिन्हें राज्य सरकार उचित समझती हो।

4.3 स्वीकृति समिति आवश्यकता पड़ने पर बैठक करेगी।

4.4 कार्यान्वयन/नोडल एजेंसियों को स्कीम के अंतर्गत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना आवश्यक होगा, जिसमें से प्रत्येक पर स्वीकृति समिति द्वारा अनुदानों, वित्तीय संगठनों/बैंकों और मेगा सिटी फंड से ऋणों, लागू ब्याज दरों, संभावित राजस्व अर्जन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष), लागत की वसूली और ऋणों की अदायगी, वित्तीय/सामाजिक लागत के लाभ के विश्लेषण आदि के संदर्भ में प्रस्तावित वित्तीय पद्धति पर विचार किया जाएगा। रिपोर्टों में मेट्रोपोलिटन विकास की नीति/दीर्घावधि मेट्रोपोलिटन निवेश प्लान (संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम में निर्धारित) के संबंध में चुनी गई परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता का उल्लेख किया जाना चाहिए। चुनी जानी वाली परियोजनाएं सीमित संख्या में होनी चाहिए और मेट्रो मास्टर प्लान/विकास की योजना से संबंधित बड़े महत्व वाली परियोजनाओं को ही प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण कार्यों की अनुमति नहीं है और केवल उन पूंजीगत परियोजनाओं को चुना जाना चाहिए जिनसे नई परिसंपत्तियां उत्पन्न होती हैं अथवा पुरानी परिसंपत्तियों की उपयोगिता में प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाना चाहिए। एक मार्गदर्शी सिद्धांत यह होगा कि प्रत्येक मेट्रो शहर की अपनी समस्याएं होती हैं और इसलिए, प्रत्येक मेट्रो शहर में स्कीमें और परियोजनाएं विद्यमान समस्याओं के संदर्भ में चलाई जानी चाहिए।

5. केन्द्र की सहायता मिलना:

5.1 केन्द्र की सहायता मिलना राज्य सरकारों के माध्यम से भारत सरकार की स्वीकृति समिति की सिफारिशों पर आधारित होगा। वे परियोजनाएं जो दिशानिर्देशों का पालन नहीं करतीं अथवा जो शहरी विकास एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित परियोजनाओं की निगेटिव लिस्ट में आती हैं, वे केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी, वे बैंकों/वित्तीय संस्थानों की मूल्यांकन रिपोर्टों तथा उन पर स्वीकृति समिति की सिफारिशों पर आधारित होंगी। एक नोडल एजेंसी को शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े इन तथ्यों पर आधारित होंगे (i) परियोजना के कार्यनिष्पादन सहित पूर्व में जारी निधि का उपयोग, (ii) राज्य के हिस्से की उपलब्धता, (iii) स्कीम के दिशानिर्देशों से प्रस्तावित परियोजना की अनुरूपता, (iv) संगठन के 50% वित्त की गतिशीलता और (v) स्कीम के अंतर्गत निर्धारित नीतिगत सुधारों की प्रगति, जैसा संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम में निर्धारित है, जो शहरी क्षेत्र के सुधारों का एक माध्यम होना संभावित है।

5.2 केन्द्र सरकार द्वारा दो उद्देश्यों से निधि की व्यवस्था की जाएगीः (i) स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजनाएं और (ii) परियोजना की तैयारी में हुआ व्यय तथा परियोजना-आधारित अध्ययन/अनुसंधान/मूल्यांकन/योजनाएं आदि।

6. मेगा सिटी स्कीम की निगरानी:

शहरी मामलें एवं रोजगार मंत्रालय स्कीम शहरी क्षेत्र के सुधारों की प्रगति पर उपयुक्त अनौपचारिक समीक्षाओं और रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से नज़र रखेगा।

7. विविध

ये दिशानिर्देश व्यापक न होकर केवल मार्गदर्शी हैं और जैसे पूर्व अनुभव हैं, इन्हें शहरी विकास एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अपनी तरह की यह पहली स्कीम होने के कारण विभिन्न स्तरों पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि इसकी प्रतिकृति बनाना/इसे जारी रखना आगामी कुछ वर्षों के दौरान प्राप्त होने वाली सफलता पर आधारित होगा। राज्य सरकारों को नोडल एजेंसियों को उपयुक्त रूप से सशक्त बनाना चाहिए (विशेषकर, परियोजना के मूल्यांकन और वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से) ताकि वे अपने समन्वय और वित्त-प्रबंधन के कार्यों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। उन्हें राज्य/केन्द्र के क्षेत्रों में मेगा सिटी स्कीम के साथ विभिन्न शहरी ढांचों की स्कीमों को शामिल किए जाने पर विचार करना चाहिए ताकि मेट्रोपोलिटन ढांचे की समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सके। जैसे-जैसे स्कीम आगे बढ़ती है और मान्यता पाती हो, तो वित्तीय और संगठनात्मक सुधारों को लागू करने की आवश्यकता है और राज्य सरकारों/नोडल एजेंसियों द्वारा ऐसे सुधारों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए जैसा कि संविधान (74वें) के संशोधन अधिनियम, 1992 में निर्धारित है। शहरी क्षेत्र के सुधारों के एक वाहन के रूप में मेगा सिटी स्कीम का प्रसार किया जाना है। शहरी विकास मंत्रालय अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक शहरी सुधार कार्यसूची का विकास करेगा।

व्याख्यात्मक सूची

भारत सरकार

शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय

मेगा सिटी कार्यक्रम

उन परियोजनाओं की व्याख्यात्मक सूची जिन पर मेगासिटी प्रोग्राम के अंतर्गत वित्त की व्यवस्था के लिए विचार किया जा सकता है।

1. शहरी अंचलों (ये क्षेत्र सामान्यतया अनदेखे रह जाते हैं और अक्सर इन क्षेत्रों से नए स्लम पैदा होते हैं) का विकास।

2. (शहरी (अर्थात् भीतरी (पुराने) शहर वाले क्षेत्र का पुनर्विकास) इसमें संकरी सड़कों को चौड़ा करना, भीड़भाड़ कम करने के लिए गैर-कॉन्फर्मिंग (शहर के भीतर) वाले क्षेत्रों से औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्थापनाओं को 'कॉन्फर्मिंग' (शहर के बाहर) क्षेत्रों में शिफ्ट करना, पुराने और टूटे-फूटे पानी के पाइपों को नए/उच्च क्षमता वाले पाइपों से बदलना, सीवर/ड्रेनेज/कूड़े-कचरे के निपटान की प्रणाली स्थापित करने आदि जैसी मदें शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के तहत भूमि अधिग्रहण की लागतों के लिए वित्त की व्यवस्था नहीं की जाएगी।

3. बढती शहरी आवश्यकताओं, विशेषकर शहरी गरीब लोगों को उपयुक्त मूल्यों पर उपयोगी भूमि और साइटें/मकान की व्यवस्था में वृद्धि करना। हालांकि, मेगासिटी प्रोग्राम के अन्तर्गत हाउसिंग इकाईयों की निर्माण की लागत से बहुत अधिक सहायता नहीं मिलेगी और गरीबों के लिए ऐसी इकाईयों की लागतों में कमी से क्रॉस-सब्सिडेशन तथा भूमि अधिग्रहण की लागतों आदि को कम करने के लिए बेघरों के लिए हडको की भूमि बैंक स्कीम, भूमि को साझा और पूल बनाकर उपयोग करने की एमएचएडीए स्कीम जैसे थ्रू मेकेनिज्म लागू किए जाने चाहिए।

4. स्लम का सुधार और पुनर्विकास परियोजनाएं।

5. मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों के बीच परिवहन प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए मुख्य/उप-मुख्य सड़कों को बिछाने/उनमें सुधार करने/चौड़ा किए जाने के कार्य।

6. महानगरों में रिंग रोड/आउटर रिंग रोड और बाई-पास बनाने के कार्य बशर्ते उसके लिए लागत की वसूली वैसे इस स्कीम के तहत टोल आदि बनाने जैसे उपाय किए जाते हों।

7. "ट्रक टर्मिनलों" का निर्माण और विकास या विस्तार।

8. शहर में जल-आपूर्ति और सीवर तथा ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार, बशर्ते उन पर अधिक पूंजी खर्च न होती हो और स्कीम में बढ़े हुए उपभोक्ता प्रभारों की व्यवस्था की जाती हो।

9. कूड़े के निपटान की स्कीम और कूड़े (बायोडीग्रेडेबल हिस्सा) को खाद में बदलने के लिए शहर में शहरी कूड़े से खाद बनाने का प्लांट लगाना।

10. पर्यावरण संबंधी सुधार और सफाई व्यवस्था तथा शहर के सौंदर्यकरण की योजनाएं।

11. बड़े वाणिज्यिक और व्यापारिक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र, विश्व व्यापार और प्रदर्शनी केन्द्र तथा इसी प्रकार के केन्द्रों का निर्माण, बर्शते वे वित्तीय और वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक हो।

12. आवश्यकता और व्यवहारिकता के आधार पर कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल, पर्यटकों के आवास (होटल नहीं), बारात घरों, वृद्ध और बेघर बच्चों के लिए घरों, सामुदायिक शौचालयों आदि सहित रात्रि विश्रामालयों का निर्माण।

पिछली बैठकों में निपटाई गई परियोजनाओं का सार-पत्र

(आंकड़े लाख रु. में)

क्र.सं.	परियोजना एवं कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	श्रेणी	लागत	पिछले माह के अंत तक हुआ व्यय	आरंभ तिथि		कार्य आरंभ होने की तिथि	
					निर्धारित	वास्तविक	निर्धारित	वास्तविक
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

भिन्न-भिन्न परियोजनाओं के लिए

क. वास्तविक डेटा

1. क्र.सं. :
2. नाम _____
3. श्रेणी

_____

क ख ग

_____

4. परियोजना रिपोर्ट, किसके द्वारा तैयार

5. संक्षिप्त औचित्य : _____
_____
_____
_____
_____

6. भूमि
   क) भूमि की आवश्यकता की मात्रा _____ वर्ग मीटर में
   ख) भूमि उपलब्धता की स्थिति :
   i) कार्यान्वयन एजेंसी के स्वामित्व वाली
   ii) अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त होने वाली
   iii) निजी पार्टियों से प्राप्त होने वाली
   iv) उपर्युक्त का मिश्रण

ग) क्या भूमि के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित है हां _____ नहीं_____

घ) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि: ..... लाख रु. में

ङ) यदि भूमि को संगठन के वित्त में समायोजित किया जाना है,
तो समायोजित की जाने वाली प्रस्तावित राशि: ..... लाख रु. में

7. क्रियान्वयन अवधि _____हां_____नहीं

क्र.सं.	प्रमुख उपलब्धियां	कार्य के आरंभ की निर्धारित तारीख	कार्य की समाप्ति की निर्धारित तारीख
1.			

2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

आरंभ की जाने वाली परियोजनाएं (तारीखवार)

8. क्या परियोजनाओं को विद्यमान नए कानूनों के अनुसार नियम और कानूनों के अनुरूप संशोधित किया गया है? हां नहीं

यदि हां, तो कृपया स्पष्ट करें कि :

कितना समय लगना संभावित है : _____

फुटनोट

3. श्रेणियां :

क: वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य

ख: उपयोगकर्ता प्रभार आधारित

ग: मूलभूत सुविधाएं

जो लागू न हो उसे काट दें।

4. क्रियान्वयन एजेंसी अथवा परामर्शदाता (नाम का उल्लेख करें)

5. (पांच लाइनों से अधिक न हो)

6. वाणिज्यिक साक्ष्य के लिए 6 मुख्य उपलब्धियां दर्शाई जा सकती हैं

i) उपलब्ध भूमि
ii) डिजाइन और बिड पैकेज को अंतिम रूप देना
iii) निविदा को अंतिम रूप देना/संविदा जारी करना
iv) दरों को अंतिम रूप देना
v) अपेक्षित कानूनों को लागू करना
vi) सुविधाओं को वास्तविक रूप से पूरा करना।

<u>ख. वित्तीय आंकड़े</u>

(लाख रु. में)

1. कुल लागत _____

2. निधि के स्रोत

क) नोडल एजेंसी को ख) क्रियान्वयन एजेंसी को ब्याज

स्रोत	राशि	ब्याज दर (%)	स्रोत	राशि	ब्याज दर (%)
भारत सरकार					
राज्य सरकार					
वित्तीय संस्थान					
कुल			कुल		

i) यदि क्रियान्वयन एजेंसी (केवल 'ग' श्रेणी की परियोजनाओं के लिए अनुमत) द्वारा कोई अनुदान प्राप्त किया जा रहा हो, तो कृपया धनराशि की मात्रा का उल्लेख करें

ii) इस श्रेणी में निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति दी जाती है। यदि इसका उपयोग होता है तो इसका उल्लेख किया जाए। 'ग' श्रेणी की परियोजनाओं के मामले में, एफआई कंपोनेंट के मामले में इंटरनल जनरेशन का उपयोग किया जा सकता है। यदि इसे लागू किया जाता है तो इसका उल्लेख किया जाए।

3. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नोडल एजेंसी से निकासी का कार्यक्रम
(.... तिमाही के अंत तक)

भारत सरकार										
राज्य सरकार										
वित्तीय संगठन										
कुल										

4. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तावित आय के सृजन/अदायगी का कार्यक्रम

वर्ष						
प्रस्तावित राजस्व सृजन						
अदा की जाने वाली राशि						

5. श्रेणी (क) के लिए 20 वर्ष और श्रेणी (ख) एवं श्रेणी (ग) परियोजनाओं के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए डीएफसी के विश्लेषण के आधार पर (फैक्टर 14) (डिस्काउंट फैक्टर संपूर्ण परियोजना लागत को लिए होगा)।

एनपीवी _____

आईआरआर _____

हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

एजेंसी _____

केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यान्वयन समिति की प्रगति रिपोर्ट। ..... तिमाही के लिए मेगा सिटी में ढांचागत विकास की स्कीम

मेगा सिटी का नाम : नोडल एजेंसी का नाम :

प्रोफार्मा ।

स्वीकृति समितियों की बैठक में पारित परियोजनाएं

श्रेणी क (वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य) (रु. में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना क्रियान्वयन समिति	परियोजना की अनुमोदित लागत	वित्तीय पद्धति			किया गया व्यय		
				अनुदान	ऋण	ऋण की ब्याज की दर	पिछली तिमाही के अंत तक	तिमाही के दौरान	चालू तिमाही के अंत तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

1.

2.

3.

कुल

श्रेणी ख (उपयोगकर्ता प्रभार आधारित)

1.

2.

3 .

कुल

श्रेणी ग (मूलभूत सेवाएं)

1.

2.

3:

कुल

कुल योग

<u>प्रोफार्मा-II</u>

मेगा सिटी का नाम नोडल एजेंसी का नामः तिमाही . . . . . .

IIए : मेगा सिटी के खाता संख्या _____ में प्राप्त निधि _____ बैंक में

(रु. में)

	<u>भारत सरकार की भागीदारी</u>		<u>राज्य सरकार की भागीदारी</u>				
	तकनीकी सहायता के लिए	परियोजनाओं के लिए	तकनीकी सहायता के लिए	परियोजनाओं के लिए	संगठन के लिए गया ऋण	ब्याज दर	कुल मेगा सिटी निधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1993-94

1994-95

1995-96

1996-97

1997-98

पिछले माह तक

माह के दौरान

माह के अंत तक

तिमाहीः

II खः मेगा सिटी खाता सं. _____ में _____ बैंक में रिलीज किया गया फंड ----------

(रुपए में)

	मेगा सिटी विकास खंड को				अन्य क्रियान्वयन संगठनों को			
	तकनीकी सहायता के लिए		परियोजनाओं के लिए		तकनीकी सहायता के लिएः		परियोजनाओं के लिए	
	(अनुदान)	अनुदान	ऋण	ब्याज दर	(अनुदान)	अनुदान	ऋण	ब्याज दर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1993 - 94								
1994 - 95								
1995 - 96								
1996 - 97								
1997 - 98								
पिछले माह								
माह के दौरान								
माह के अंत तक								

मेगा सिटी का नाम: नोडल एजेंसी का नाम: तिमाही:

IIग : रिवॉल्विंग फंड खाता सं. . . . . .. में बैंक . . . . . में की गई वसूलियां

(रु. में)

	मेगा सिटी विकास खंड को		अन्य क्रियान्वयन संगठनों से	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1993-94				
1994-95				
1995-96				
1996-97				
1997-98				
पिछले माह तक				
माह के दौरान				
माह के अंत तक				

<u>प्रोफार्मा - III</u>

कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजना-वार निकासियां तिमाही:

(रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना क्रियान्वयन समिति	निकासी					
			<u>भारत सरकार की भागीदारी</u>		<u>राज्य सरकार की भागीदारी</u>		<u>संगठनात्मक वित्त</u>	
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक

पिछले माह तक

माह के दौरान

माह के अंत तक

<u>प्रोफार्मा-IV</u>

परियोजनावार संगठनात्मक वित्तीय विवरण तिमाही:

(रु. में)

1. परियोजना का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी	वित्तीय संगठन का नाम	माह के अंत तक लिया गया ऋण	ब्याज दर	अदा की गई राशि	शेष राशि

प्रोफार्मा-V

तिमाही :

क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनावार राजस्व सृजन/ऋणों की अदायगी

(रु. में)

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	राजस्व सृजन			अदायगी	
	लक्ष्य	वास्तविक	देय	वास्तविक	बकाया
	पिछले माह तक				
	माह के दौरान				
	माह के अंत तक				
	.....				